यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), गोपेश्वर चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), गोपेश्वर चमोली के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नि खल गोस्वामी, व.ले.प. एवं श्री बी.एम.त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 18.02.2018 से 24.02.2018 तक सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 25.04.2015 से 11.05.2015 तक तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः सम्पूर्ण जनपद चमोली, कर संग्रह

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (रू लाख में) |
|---|---|
| 2014-15 | 1577.93 |
| 2015-16 | 1500.61 |
| 2016-17 | 1432.67 |

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | बजट आवंटन | | व्यय | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 2014-15 | | | | | 4130000 | 3060630 |
| 2015-16 | | | | | 4485000 | 3267722 |
| 2016-17 | | | | | 10865000 | 3526763 |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अ धक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| शून्य | | | | | |

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'ब'.... श्रेणी की है।

**(iv)** वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल- ज्वाइन्ट- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

**(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), गोपेश्वर चमोली को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), गोपेश्वर चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi)** वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: - 07/2015, 03/2017

राजस्व: - 10/2015, 03/2017

**(vii)** योजना का चयन :- शून्य

**(Viii)** लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

# भाग -2(ब)

प्रस्तर-1 आई.टी.सी. रिवर्स न कये जाने से राजस्व क्षति `3,483 तथा अर्थदण्ड का अनारोपण ` 10,449/-

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानो के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लए पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनरा श होगी जो कर अव ध के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जैसे की इस धारा में वनिर्दिष्ट है, कये गये क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा वक्रेता व्यौहारी को भुगतान कया गया है और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की वहित की जाए।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि) वा णज्य कर गोपेश्वर चमोली के अ भलेखो की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री अरोड़ा जनरल स्टोर, कर्णप्रयाग, चमोली द्वारा वर्ष 2013-14 में `1406824/- का आई.टी.सी. दावाकृत कया गया पत्रावली की क्रय सूची की online जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री S.B.Markplus (p). Ltd. (Tin No. 07740419978) का टिन न. Invalid है उपरोक्त व्यापारी से कुल `69,658/- की खरीद की गयी जिस पर 5% की दर से 3483 का आई.टी.सी का लाभ दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त खरीद पर 5% की दर से `3,483/- का आई.टी.सी. रिवर्स योग्य है तथा गलत आई.टी.सी `3,483 पर नियमानुसार अर्थदण्ड के रूप में दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुना अर्थात `10,449/- अर्थदण्ड भी आरापणीय है।

उपरोक्त के सम्बन्ध लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क नियमानुसार कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

# भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2- अर्थदण्ड का अनारोपण `61404/-

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(1)(VIII) के प्रावधानों के अनुसार कर देर से जमा होने पर, कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) गोपेश्वर चमोली की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क संस्था प्रभागीय वना धकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर ने माह दिसम्बर 2013 तथा अक्टूबर 2013 एवं संस्था आई.टी.बी.पी. प्रथम वाहिनी जोशीमठ चमोली ने माह सतम्बर 2013 का कर देर से जमा कया है ववरण निम्न है।

| क्रम.स. | कार्यालय/फर्म का नाम | माह | कर (`) | जमा करने की ति थ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रभागीय वना धकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर | 10/2013 | 18848 | 29.11.13 |
| 2 | प्रभागीय वना धकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर | 12/2013 | 64885 | 27.11.13 |
| 3 | आई.टी.बी.पी. प्रथम वाहिनी जोशीमठ | 09/2013 | 282150 | 12.12.13 |
| 4 | आई.टी.बी.पी. प्रथम वाहिनी जोशीमठ | 09/2013 | 248161 | 15.05.2014 |
| | | योग | 614044 | |

इस प्रकार व भन्न माहों में कर देर से जमा `6,14,044/- पर नियमानुसार कम से कम 10% `61,404/- का अर्थदण्ड आरो पत कया जाना चाहिए था जो नहीं कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी अनुपालन आख्या सम्प्रेक्षा में प्रति क्षत रहेगी।

प्रकरण वभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

# भाग-2 (ब)

प्रस्तर -3 वलम्ब से जमा करायी गयी टी.डी.एस. कटौती पर अर्थदण्ड का अनारोपण `1,80,458/-

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम की धारा 35(8) के अनुसार कोई उपक्रम स्रोत पर कटौती करने में असफल रहती है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनरा श को जिस माह में कटौती की जाए की आगामी माह की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहती है, तो अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटी गयी धनरा श के दुगुने से अना धक धनरा श का भुगतान करेगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) गोपेश्वर चमोली की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क अ धशासी अ भयन्ता पी.एम.जी.एस.वाई. पोखरी चमोली द्वारा वर्ष 2005-06 में काटी गयी टी.डी.एस. की धनरा श को निश्चित अव ध में कोषागार में जमा नहीं कया गया।

| क्रम.सं. | सं वदाकार का नाम | भुगतान की ति थ | कर की धनरा श (`) | जमा करने की अंतिम ति थ | वास्त वक ति थ | अर्थदण्ड (`) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वश्री कृष्णकान्त कुनियाल | 21.02.2006 | 49482 | 31.03.2006 | 29.05.2006 | 98964 |
| 2 | सर्वश्री कृष्णकान्त कुनियाल | 10.03.2006 | 40747 | 30.04.2006 | 29.05.2006 | 81494 |
| | | | | | योग | 1,80,458/- |

अतः उपक्रम पर अर्थदण्ड `1,80,458/- न आरो पत कये जाने के कारणों के सम्बन्ध में आप त्त कये जाने पर वभाग ने नियमानुसार कार्यवाही कर सू चत कये जाने का आश्वासन दिया है। जिसकी लेखा परीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

## भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| CT-35/2012-13 | 01 | 02 |
| CT-02/2015-16 | - | 01,02,03 |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**(1)** राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**(2)** व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), गोपेश्वर चमोली तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (i) | श्री वीर संह | अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) |
| (ii) | श्री जितेन्द्र गुप्ता | अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) |
| (iii) | श्री मनमोहन आसवाल | अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.) |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), गोपेश्वर चमोली को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र